



AHC:127035:2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18682 वर्ष 2026

मुनेश

आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : जन्मेद कुमार

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जन्मेद कुमार और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 392 ऑफ 2025 (सेशन केस नंबर 317 ऑफ 2026), धारा 103(1), 238, 3(5) और 61(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन अनूपशहर, जिला बुलंदशहर में दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और वह घटना के समय दिल्ली में होने के कारण घटना की तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित नहीं था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। आवेदक पर अधिकतम मृतक की हत्या के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी प्रेमपाल, श्रीमती मीना और प्रमोद कुमार के खिलाफ अपराध करने के संबंध में प्रत्यक्ष आरोप

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं। हालांकि, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है। यह जमानत कर्मशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7802/2026, 43680/2025 में और 45067/2025 में 27.02.2026, 10.12.2025 और 09.01.2026 को दिये गये आदेशों के तहत दी गई है। आवेदक 01.10.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे की सुनवाई में समय लग सकता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय एक मामले के जो इस मामले के बाद आवेदक के खिलाफ झूठा दर्ज किया गया है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का मामला बनाया है। तदनुसार जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक- **मुनेश**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका उस पर आरोप है, या जिसके कमीशन का उस पर संदेह है

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी (संबंधित धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (अनुरूप धारा 84 बीएनएसएस के) तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी (धारा 209 बीएनएस के अनुरूप) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

ए.एन. मिश्रा

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।